



उत्तर प्रदेश पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लिमिटेड  
(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)  
U.P. POWER TRANSMISSION CORPORATION LIMITED  
(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)  
शक्ति भवन, 14 अशोक मार्ग, लखनऊ।

दिनांक ०२ अगस्त, 2022

संख्या-672-पारे०अनु०-04/पाट्राकालि-2022-134/2013

दिनांक ०२ अगस्त, 2022

**"शुद्धि-पत्र"**

ट्रान्समिशन कारपोरेशन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-645-पारे०अनु०-04/पाट्राकालि-2022-134/2013 दिनांक 25 अगस्त, 2022, जिसके द्वारा महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न ( निवारण, प्रतिषेध और प्रतिरोध ) अधिनियम-2013 की धारा-4 के अन्तर्गत, पूर्व में ट्रान्समिशन कारपोरेशन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2869-पारे०अनु०-16/पाट्राकालि-2019-134/2013, दिनांक 28.12.2019 द्वारा गठित आन्तरिक परिवाद समिति (Internal Complaint Committee) में आंशिक संशोधन करते हुए, एतद्वारा, निम्नवत पुनर्गठन किया जाता है :-

क्र०सं०	नाम	तैनाती स्थल	नामित
1.	श्रीमती संगीता	अधिशारी अभियन्ता, एस०एल०डी०सी०	अध्यक्ष
2.	श्रीमती ज्योति नन्दिनी	अधिशारी अभियन्ता (सं०) मुख्य अभियन्ता (सी०एम०यू०टी०)	सदस्य
3.	श्री अवनीश कुमार त्रिवेदी	अधिशारी अभियन्ता एवं उप सचिव (पारेषण-तृतीय), उ०प्र०पा०ट्रा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ	सदस्य
4.	श्रीमती अंजू सिंह	कार्यालय सहायक-प्रथम, सम्बद्ध उप सचिव- प्रथम (पारेषण), उ०प्र०पा०ट्रा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ	सदस्य
5.	सुश्री मधु गर्ग	अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति, उ०प्र०, लखनऊ	सदस्य, एन०जी०ओ०

उपरोक्त समिति के कार्यक्षेत्र में उ०प्र० पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि०, लखनऊ के अन्तर्गत समस्त कार्यालय होंगे। समिति का यह दायित्व होगा कि यौन उत्पीड़न प्रतिषेध के सम्बन्ध में निर्धारित नीति के क्रियान्वयन हेतु कार्य योजना तैयार करें।

**निदेशक (का०प्रब० एवं प्रशा०)**

संख्या-672 (1)-पारे०अनु०-04/पाट्राकालि-2022

तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. अध्यक्ष, उ०प्र० पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
3. समस्त निदेशकगण, उ०प्र० पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन/शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
4. निदेशक, महिला कल्याण, उ०प्र० शासन, लखनऊ।
5. सचिव, उ०प्र० राज्य महिला आयोग, गोमती नगर, लखनऊ।
6. संयुक्त सचिव, सार्वजनिक उद्यम विभाग, उ०प्र० शासन, लखनऊ।
7. संयुक्त सचिव, महिला एवं बाल विकास अनुभाग-3, उ०प्र० शासन, लखनऊ।
8. अनु सचिव, ऊर्जा अनुभाग-2, उ०प्र० शासन, लखनऊ
9. समस्त मुख्य अभियन्ता (स्तर-षष्ठ), उ०प्र० पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि०।
10. समस्त महाप्रबन्धक/उप महाप्रबन्धक (वित्त एवं लेखा), उ०प्र० पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
11. समस्त मुख्य अभियन्ता (पारेषण), उ०प्र०पा०ट्रा०का०लि०, को इस अभ्युक्ति सहित प्रेषित कि वे अपने अधीनस्थ कार्यालय में कार्यरत कामकाजी महिलाओं के यौन उत्पीड़न प्रतिषेध आदि के सम्बन्ध में अपने कार्यालय के किसी अधिकारी को नोडल अधिकारी नामित कराते हुए समिति की अध्यक्ष, श्रीमती संगीता, अधिशारी अभियन्ता, एस०एल०डी०सी०, उ०प्र०पा०ट्रा०का०लि०, लखनऊ को सूचित करें।
12. कम्पनी सचिव, उ०प्र०पा०ट्रा०का०लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

- ✓13. अधिशासी अभियन्ता सम्बद्ध निदेशक (आपरेशन), उ०प्र०पा०ट्रा०का०लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ को इस आशय के साथ प्रेषित कि वह उपरोक्त आदेश को कारपोरेशन की वेबसाइट [www.upptcl.org](http://www.upptcl.org) पर शीघ्र अपलोड कराना सुनिश्चित करें।
14. श्रीमती संगीता, अधिशासी अभियन्ता, एस०एल०डी०सी०, उ०प्र०पा०ट्रा०का०लि०, लखनऊ।
15. श्रीमती ज्योति नन्दिनी, अधिशासी अभियन्ता (सं०) मुख्य अभियन्ता (सी०एम०यू०टी०), उ०प्र०पा०ट्रा०का०लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
16. श्री अवनीश कुमार त्रिवेदी, अधिशासी अभियन्ता एवं उप सचिव (पारेषण-तृतीय), उ०प्र०पा०ट्रा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ
17. श्रीमती अन्जू सिंह, कार्यालय सहायक-प्रथम, सम्बद्ध उप सचिव- प्रथम (पारेषण), उ०प्र०पा०ट्रा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
18. सुश्री मधु गर्ग, अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति, उ०प्र०, डी-122, साउथ सिटी, निकट अम्बेडकर विश्वविद्यालय, लखनऊ-226025।

आज्ञा से,



(अवनीश कुमार त्रिवेदी)  
उप सचिव (पारेषण-तृतीय)